जिलान्तर्गत आये चक्रवाती तूफान के आलोक में आपदा साहायूय संबंधी कार्य की समीक्षा हेतु दिनांक 25.04.2015 को माननीया मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी अनुसार।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा माननीया मंत्री आपदा प्रबंधन, बिहार सरकार, पटना का हार्दिक अभिनन्दन किया गया तथा इस अवसर पर उपस्थित श्री मनीष कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, विशेष जिला पदाधिकारी का भी स्वागत किया।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.04.2015 को रात्रि लगभग 10 बजे पूर्णियाँ जिला में आये इस चक्रवाती तूफान के तुरन्त बाद इससे जख्मी प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा व्यवस्था को सदर अस्पताल, पूर्णियाँ में तत्परतापूर्वक बहाल किया गया तथा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिया गया एवं मात्र छः से सात घंटे के अन्दर जिला प्रशासन के सफल प्रयास से जिला मुख्यालय के सड़कों से पेड़ों एवं बिजली के पोलों को हटाकर अवागमन को बहाल कर दिया गया। साथ ही समाहरणालय, पूर्णियाँ के आपदा प्रबंधन शाखा में अहर्णिश रूप में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.04.2015 की रात्रि में आये चक्रवाती तूफान में मृत सभी 38 व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि मो0 4,00,000.00 (चार लाख) रूपये प्रति मृतक की दर से चेक द्वारा भुगतान दिनांक 22.04.2015 के अपराह्न तक ही कर दिया गया। इस चक्रवाती तूफान में घायल सभी व्यक्तियों के निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है। चक्रवाती तूफान में सबसे अधिक प्रभावित अंचल डगरूआ एवं पूर्णियाँ पूर्व है। जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि सभी अंचलों में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुरूप इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित सभी परिवारों को 50 किलोग्राम चावल, 50 किलोग्राम गेहूँ, 2000 रूपये सहायूय अनुदान रूप में, 1800 रूपये वस्त्र मद में एवं 2000 रूपये बर्त्तन मद में अर्थात् कुल 5800 रूपये वितरित करने का निदेश सभी अंचलाधिकारी को प्रखण्ड/पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त उनके पर्यवेक्षण में पूरी पारदर्शिता के साथ वितरित कराते हुए यह कार्य तीन दिनों के अन्दर पूर्ण करने का निदेश

दिया गया है एवं प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों की सूची जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भी आदेशित किया गया है जिसका अनुपालन युद्धस्तर पर कराया जा रहा है तथा वरीय पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। यद्यपि पूर्णियाँ पूर्व अंचल एवं नगर निगम क्षेत्र में कतिपय कारणों से प्रगति को संतोषजनक नहीं माना जा सकता है तथापि निश्चित रूप से अगले दो से तीन दिनों के अन्दर सभी प्रभावित परिवारों को अनुमान्य सहायय अनुदान उपलब्ध करा दिया जायेगा। उन्होंने माननीया मंत्री महोदय से निवेदित किया कि इस हेतु राशि की अधियाचना आपदा प्रबंधन विभाग से की गई है। जिसे पूर्णियाँ जिला को आवंटित कराने की विशेष कृपा की जाय। तत्काल राशि का विचलन कर सहायय का वितरण किया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि प्रभावित परिवारों को विशेषकर प्राथमिकता के रूप में छत विहिन परिवारों को पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रभावित परिवारों के बीच सुखा राशन के रूप में चूड़ा, गुड़/चीनी, सत्तु भी मुहैया कराया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि फसल आदि की क्षति का अनुमानित आकलन कर लिया गया है तथा इस कम में सर्वेक्षण कार्य भी प्रारंभ है। जिन किसानों का फसल/फल की क्षति हुई है उनकी सूची भी जिला के बेबसाईट पर अपलोड कराया जायेगा। अनुमानित आकलन है कि एक अरब चालीस करोड़ एकासी लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रूपये का फसल/फल क्षतिग्रस्त हुआ है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रावधान के अनुसार गृह क्षति के मुआवजा का भी भुगतान किया जायेगा। इस हेतु भी सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ है। जिसके लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

इस अवसर पर बैठक में उपस्थित विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न का वितरण एक लम्बी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें Logistic सहित कई तरह की समस्याएँ आती है। अविलम्ब राहत उपलब्ध कराने हेतु प्रभावित परिवार को नगद राशि का भुगतान रू0 5800.00 प्रति प्रभावित परिवार की दर से किया जाय। इसलिए प्रभावित सभी पंचायतों में दो प्रकार की टीम गठित किया जाना चाहिए एक टीम सर्वेक्षण कार्य करेगी तथा दूसरी टीम 5800.00 रूपये की दर से नकद राशि का भुगतान करेगी। आवश्यकतानुसार एक पंचायत में तीन से चार टीम बनाई जा सकती है तथा इसमें शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त किया जाय। जो अंचल प्रभावित नहीं है वहाँ के सारे

कर्मी/पदाधिकारी को प्रभावित अंचलों में प्रतिनियुक्त किया जाय ताकि सहायय वितरण कार्य तेजी से चल सके। उनका द्वारा बताया गया कि सर्वे टीम के अलावे कैश टीम भी गठित किया जाय जिसमें एक-दो कर्मी/पदाधिकारी को नाजीर के रूप में विधिवत नामित कर दिया जाय ताकि राशि वितरण सुगमतापूर्वक तीव्र गति से किया जा सके। उक्त कार्य अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के स्तर से आज रात्री ही कर ली जाय। ताकि कल प्रातः से कार्य में गति आ सके। फसल क्षति के सर्वेक्षण में कृषि विभाग के पदाधिकारी के अलावे प्रशासन के पदाधिकारियों को भी लगाने की बात उनके द्वारा कही गयी, ताकि विचौलिये से बचा जा सके। साथ ही विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि सर्वेक्षण टीम में लगे कर्मी द्वारा पैसा लेने की शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त इसकी जांच कर संबंधित दोषी कर्मी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय ताकि राहत वितरण में पारदर्शिता तथा प्रशासन पर भी लोगों का विश्वास बनी रहे। इसके उपरान्त खाद्यान्न का वितरण भी जारी रखा जाय। सभी राहत वितरण कार्य के फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी पर भी उन्होंने बल दिया। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, विद्युत को उन्होंने निदेशित किया कि बिजली विभाग का लंबित कार्य 24 घंटे में पूरा कर लें। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ एवं जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ को विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि वे खाद्यान्न उठाव/वितरण पर पूरी नजर रखें ताकि खाद्यान्न का विचलन ना हो। अंत में विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे पूरी तत्परतापूर्वक कार्य करें ताकि दो से तीन दिनों के अन्दर सभी प्रभावित परिवारों को सहायय अनुदान उपलब्ध हो जाय, खासकर नगद राशि का भुगतान कर दिया जाय।

विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक आपदा प्रभावित अंचलों में एक-एक वरीय पदाधिकारी को भी सहायय अनुदान वितरण की समाप्ति तक प्रतिनियुक्त किया जाय। जिनका मुख्य दायित्व होगा कि संबंधित अंचल के प्रभावित पंचायतों में कार्यरत दोनों टीमों से सम्न्वय एवं संपर्क स्थापित कर अपने पर्यवेक्षण एवं निगरानी में राहत वितरण कार्यों में तीव्रता लायेंगे तथा प्रतिदिन खैरियत/प्रगति प्रतिवेदन से जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को अवगत करायेंगे। वित्तीय समस्याओं के निराकरण/समाधान हेतु उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को अधिकृत किया गया। बैठक में उपस्थित एल0डी0एम0 को बैंकों से राशि की निकासी में उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को

अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का भी निदेश दिया। विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत सहाय्य वितरण कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है परन्तु इसमें और तेजी लाते हुए अगले तीन दिनों के अन्दर नकद अनुदान वितरण कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता है। विशेष जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि तत्काल राशि का विचलन डी0आर0डी0ए0 एवं जिला परिषद मद से भी जा सकती है ताकि राहत कार्य में राशि को लेकर कोई समस्या ना हो।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रभावित पंचायतों में अलग अलग टीम बनाकर सर्वेक्षण एवं राहत वितरण में तेजी लाई जाय तथा टीम की संख्या बढ़ाई जाय। प्रभावित परिवारों की सूची निगरानी -सह- अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कराकर प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित कराई जाय एवं जिला के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाय। पंचायत-वार राहत वितरण का आवश्यकतानुसार रोस्टर तैयार किया जाय तथा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ताकि प्रभावित परिवारों को राहत वितरण से संबंधित स्थल एवं समय की जानकारी रहे तथा राहत वितरण सुगमतापूर्वक हो सके। निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रखंड/अंचल कार्यालय में उपलब्ध निधि की निकासी कर सहाय्य अनुदान का वितरण तत्काल करावेगें तथा विभाग से संगत मद में आवंटन प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी। नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ भी सदृश कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता सरकारी आदेश की अवहेलना मानी जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रभावित अंचलों में वरीय पदाधिकारी को राहत वितरण समाप्ति तक प्रतिनियुक्त किया जाय। राहत वितरण का कार्य परदर्शिता के साथ निगरानी -सह- अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जाय। लाभुकों का फोटोग्राफ लिया जाय एवं विडियोग्राफी भी कराकर अभिलेखवद्ध किया जाय ताकि कोई शिकायत न हो। राहत वितरण कार्य के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बल एवं होमगार्ड को प्रतिनियुक्त किया जाय। इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से संयुक्त आदेश निर्गत किया जाय। जिलान्तर्गत राहत वितरण कार्यों का ब्योरा समाचार पत्र, प्रेस, मिडिया में समुचित रूप से दृष्टिगत नहीं हो रही है। इस हेतु जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दैनिक रूप से राहत वितरण से संबंधित प्रेस विज्ञप्ती निर्गत कर यह

सुनिश्चित करें कि समाचार पत्रों, प्रेस, मिडिया में तत्संबंधी खबर यथोचित रूप से प्रकाशित हो। इस पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

माननीया मंत्री आपदा प्रबंधन, बिहार सरकार ने बैठक में उपस्थित विशेष जिला पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए इस आशय का अनुरोध किया कि त्रासदी की इस घड़ी में मानवता की सेवा करना एवं सही ढंग से सभी प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य सहायय, गृह क्षति अनुदान, फसल/फल क्षति अनुदान का भुगतान कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास ना तो इच्छाशक्ति की कमी है और ना ही धन की ही कमी है। उन्होंने पूर्णियाँ जिला में इस चक्रवाती तूफान में जिला प्रशासन द्वारा किये गये राहत/बचाव कार्य को संतोषप्रद बताते हुए जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अनुरोध किया कि इसमें अधिक टीम लगाकर और तीव्रता एवं गति लायें। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुदान वितरण हेतु संगत मद में आवंटन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय। ताकि बिना किसी विलम्ब के प्रभावित परिवारों के बीच राहत कार्य का वितरण किया जा सके।

माननीया मंत्री द्वारा इस कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापन किया ।

25/4/15

मंत्री
आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार सरकार

ज्ञापांक-267/आ0प्र0, दिनांक-25/04/2015

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समादेष्टा, गृहरक्षा वाहिनी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेष जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

Raje Kr.
25/4/2015
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ